न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट कालाडेरा)

मु.न. 252/2014

उनवान

1. बंशी मीणा पुत्र श्री सुल्तान मीणा, उम्र 52 वर्ष करीब,
2. दुर्गालाल मीणा पुत्र श्री सुल्तान मीणा, उम्र 44 वर्ष करीब,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. चुन्नी लाल मीणा पुत्र श्री सुल्तान मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम– कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. प्रबन्धक महोदय, एस0बी0बी0जे0 बैंक शाखा कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

(अ0 धारा 53 एवं 188 आर. टी. एक्ट)

निर्णय दिनांक 15.06.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प कालाडेरा में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 04.03.2015 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से कुरेजात प्राप्त हो चुके है। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस मे कथन किया किया है कि वाद में तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नही है तथा कुरेजात अनुसार दावें को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:– यह की विवादित भूमि खाता संख्या 132 के खसरा नम्बर 271/2 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 272/1 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 274 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.23 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बंशी पुत्र सुल्तान हि0 1/2 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा कालाडेरा, दुर्गा पुत्र सुल्तान हि0 1/2 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा को खसरा नम्बर 271/2 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 272/3 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 272/4 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 272/5

Scanned by CamScanner

रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 397/2 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. चुन्नीलाल पुत्र सुल्तान जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा को खसरा नम्बर 272/1 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 397/1 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प कालाडेरा पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रियव्रत सिंह चारण
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट कालाडेरा)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1. बंशी मीणा पुत्र श्री सुल्तान मीणा, उम्र 52 वर्ष करीब,
2. दुर्गालाल मीणा पुत्र श्री सुल्तान मीणा, उम्र 44 वर्ष करीब,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. चुन्नी लाल मीणा पुत्र श्री सुल्तान मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम– कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं , तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. प्रबन्धक महोदय, एस0बी0बी0जे0 बैंक शाखा कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>
(अ0 धारा 53 एवं 188 आर. टी. एक्ट)

मु.न. 252/2014

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. बंशी पुत्र सुल्तान हि0 1/2 राहिन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा कालाडेरा, दुर्गा पुत्र सुल्तान हि0 1/2 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा को खसरा नम्बर 271/2 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 272/3 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 272/4 रकबा0.36 है0, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 397/2 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. चुन्नीलाल पुत्र सुल्तान जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा को खसरा नम्बर 272/1 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 397/1 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0. 49 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 15.06.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा..........

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner